न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः– 19/2018 (18 आयुध अधिनियम 1959)

जितेन्द्रसिंह परमार पुत्र श्री रघुवीरसिंह परमार निवासी परशुआपुरा थाना राजाखेडा जिला धौलपुर (राज0) **.........अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर। **..........रैस्पोडैन्ट**

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 2.11.2017 शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 33/2003

उपस्थितिः–

1. श्रीमती रचना सिनसिनवार वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांकः 14.3.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 2.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था। उसको आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 31.12.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 15.2.2016 में अपीलान्ट के विरूद्ध संबधित थाना में मु0नं0 18/2005 धारा 147,148,149,332,353,455 ता0हि0 व 3 पीडीपीपी एक्ट व 135, 136 जनप्रतिनिधि अधि0 में दर्ज है का जिक्र करते हुये अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंसा की गई है जिसके अधार पर शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.11.2017 पारित करते हुये अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिया गया है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर अपीलाधीन आदेश उसकी बैक पर पारित किया गया है जो न्याय के

नैसर्गिक सिद्यान्तों के विपरीत है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र काफी पुराना है एवं नियमानुसार नियमित नवीनीकरण भी होता रहा है साथ ही समय समय पर अनुज्ञापन अधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपीलान्ट द्वारा पालना की जाती रही है। प्रकरण की वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था। उसको आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु नियत अवधि में दिनांक 31.12.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहत अदालत ने जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट क्रमांक 1140 दिनांक 15.2.2016 तलब की गई। इस रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया गया है कि अपीलान्ट के द्वारा शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। मु0नं0 18/2005 धारा 147,148,149,332,353,455 ता0हि0 व 3 पीडीपीपी एक्ट व 135, 136 जनप्रतिनिध अधि0 में दर्ज है जिसमें अपीलान्ट दोषमुक्त किया है। चालचल भी अच्छा बताया गया है। इसके अलावा बिन्दु संख्या चार में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मुताबिक रिकार्ड थाना हाजा में अपीलान्ट के विरूद्ध अन्य कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है और न ही किसी मामले में वांछित है। समस्त हालातों की जांच कराई गई है। अतः अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण कर दिया जावे तो मुकामी पुलिस को कोई एतराज नहीं है। बाबजूद इसके रिपोर्ट के अन्तिम पैरा में केवल एक लाईन लिख दी गई कि नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यह बात समझ से परे है कि पूरी रिपोर्ट जब अपीलान्ट के प्रतिकूल है तो फिर अन्त में अनुशंसा न किये जाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि संभवतः अन्तिम लाईन में भूलवश गलत टाईप हो गया है। जिसके आधार पर तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जिससे अपीलान्ट को सख्त हकतलफी हो गई है। समस्त प्रकरणों में सक्षम न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा आदेश दिनांक 9.4.2015 पारित करते हुये अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जा चुका है बतौर साक्ष्य जिसकी प्रति अपील के साथ संलग्न की गई है। तहत अदालत के पास ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण न किया जावे। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र नियमानुसार जारी किया गया है नियमानुसार नवीनीकरण होता रहा है। नियमानुसार सक्षम अदालत ने अपीलान्ट का समस्त प्रकरणों में बरी भी किया गया है। वर्तमान में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है फिर भी कयास लगाना कि लोक शान्ती भंग हो जायेगी न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश तथ्यों से बिल्कुल विपरीत है। अपीलाधीन आदेश के प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही यह स्पष्ट जाहिर होता है कि यह गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया आदेश नहीं है। जिससे यह साफ है कि अपीलान्ट को न तो सुना गया न ही उसके वहैसियत अनुज्ञापत्रधारी के मापदण्डों का परीक्षण किया गया न ही ऐसी कोई वजह स्पष्ट हो सकी जिससे अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को बहाल न किया जा सके। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया आदेश है इसलिऐ अपीलान्ट को इसकी जानकारी ही नहीं थी । दिनांक 15.12.2017 को जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के

कार्यालय में सम्पर्क करने पर प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इस पर प्रार्थी ने उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया । दिनांक 27.12.2017 को नकल मिली तदोपरान्त वकील से सम्पर्क किया व दस्तावेजों की पूर्ति कर यह अपील होने जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। जिसके लिये पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय 2.11.2017 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने के आदेश दिये जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.11.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था। उसको आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 31.12.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तहत अदालत ने आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रावधानों के तहत जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से इस संबध में रिपोर्ट तलब की गई । जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट क्रमांक ह–1 ( ) धौल/आर्म्स/16/1140 दिनांक 15.2.2016 प्राप्त की गई। जिसमें जिला पुलिस आधीक्षक धौलपुर ने अपीलान्ट के खिलाफ दायर मु0नं0 18/2005 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 455 ता0हि0 व 3 पीडीपीपी एक्ट व 135, 136 जनप्रतिनिधि अधि0 में दर्ज है का जिक्र करते हुये अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं करने की स्पष्ट अनुशंसा की गई है । अपीलान्ट की दायर प्रकरणों में संदिग्ध भूमिका रही है और अपीलान्ट को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है। शस्त्र अनुज्ञापत्र धारक द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथपत्र में उक्त दर्ज अभियोगों का इन्द्राज नहीं किया जाना अर्थात आपराधिक तथ्यों का छिपाया जाना शस्त्रअनुज्ञापत्र धारक के आचरण को और भी ज्यादा संदिग्ध बनाता है। अनुज्ञापत्रधारी के आपराधिक चरित्र एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुये कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाये रखने हेतु तहत अदालत द्वारा बाद विधिवत कार्यवाही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र संख्या 33/2003 निरस्त किया गया है। जो न्यायसंगत है। अन्त में सहायक लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जावे तथा तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.11.2017 यथावत रखा जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> ''Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
''Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal''

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था। उसको आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 31.12.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में तहत अदालत द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से तलब की गई रिपोर्ट दिनांक 15.2.2016 का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन इस तथ्य से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता कि रिपोर्ट की सभी बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 के अंतर्गत अपीलान्ट के संबध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। रिपोर्ट अनुसार न तो अपीलान्ट ने लाईसेंसी हथियार का दुरूपयोग किया है। मुकदमों में भी बरी किया गया है। वर्तमान में कोई प्रकरण पंजीबद्ध भी नहीं है चाल–चलन भी अच्छा बताया गया है। इसके अलावा बिन्दु संख्या 4 में यह स्पष्ट किया है कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कर दिया जावे तो मुकामी पुलिस को कोई एतराज नहीं है। इस रिपोर्ट को वृत्ताधिकारी वृत्त मनियां जिला धौलपुर द्वारा भी अनुशंसा की है बाबजूद इसके रिपोर्ट मे अन्तिम लाईन में नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा अंकित किया जाना उचित नहीं है। जब बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 में अपीलान्ट के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है तो फिर ऐसी क्या बजह रही है कि अनुज्ञापत्र बहाल न किया जावे। यदि तहत अदालत को कोई शकशुवा था तो वह इस संबध में पुनः जांच करने हेतु सक्षम रहते है। तहत अदालत द्वारा संभवतः स्वयं की ओर से कोई जांच न करते हुये पूरी रिपोर्ट का अवलोकन न कर केवल अन्तिम लाईन के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। हमारी विनम्र राय में एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन महत्वपूर्ण होता है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने भी अपनी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 में अपीलान्ट के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा भी निर्णय दिनांक 9.4.2015 में दोषमुक्त किया गया है। इसके अलावा सहायक लोक अभियोजक की ओर से भी ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि इस निर्णित प्रकरण के अलावा (जिसमें अपीलान्ट दोषमुक्त हो चुका है

) कोई अन्य प्रकरण अपीलान्ट के विरूद्ध दायर हुआ हो अथवा विचाराधीन हो। यह प्रकरण भी सक्षम अदालत द्वारा दिनांक 9.4.2015 को निर्णत किया जा चुका है। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलान्ट के विरूद्ध नवीनीकरण के समय कोई प्रकरण दर्ज नही है। इसके बाबजूद नवीनीकरण क्यों नही किया जा सकता ? तहत अदालत द्वारा इसका विवेचन भी अपने निर्णय में नही किया है और न ही जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट में इस बाबत कोई विवेचना की गई है। तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश के अन्तिम पैरा में अपीलान्ट का आचरण संदिग्ध मानकर कानून व्यवस्था एवं लोकशांति का हवाला देते हुये अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिया गया है तहत अदालत द्वारा माने गये अपीलान्ट के आचरण संबधी शकशुवा की स्थिति को वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये स्पष्ट करने के लिये प्रकरण में हमारे ख्याल से अभी विस्तृत जांच किया जाना अपेक्षित रहता है। ताकि अपीलान्ट के चालचलन की स्थिति को स्पष्ट किया जा सके क्यों कि एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन ही मायने रखता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को स्पीकिंग आर्डर की परिभाषा में नही मानते हुऐ पुनः निर्णय के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.11.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर तथ्यों एवं संभावनाओं के परस्पर विरोधाभास को दूर करते हुये पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.3.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर